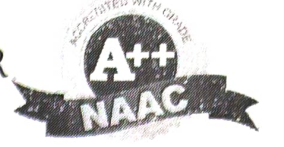




छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)



सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./1179/2026

दिनांक : 10/09/2026

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

विषय: सत्र 2025-26 के सभी पाठ्यक्रमों की अन्तिम वर्ष कक्षाओं के छात्र/छात्राओं की उपाधि प्रमाणपत्र (Degree) निर्मित/निर्गत किये जाने के पूर्व हिन्दी नाम एवं पत्राचार विवरण की जाँच कर आवश्यकतानुसार संशोधन समाविष्ट (Incorporate) करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया आपको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सी०ओ०ई०/961/2026 दिनांक 01.07.2026 एवं सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सी०ओ०ई०/1109/2026 दिनांक 12.08.2026 के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2025-26 में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की उपाधि (Degree) गत वर्ष की भांति उनके पत्राचार के पते पर प्रेषित की जानी है। उपाधि मुद्रण हेतु छात्र/छात्राओं के शुद्ध हिन्दी नाम, पता, मोबाईल नम्बर तथा Email ID की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि महाविद्यालयों द्वारा ऑन-लाइन परीक्षा आवेदन पत्र में उक्त सूचनाओं को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, किन्तु अनेक छात्र/छात्राओं की उपरोक्त सूचनाओं में संशोधन अपेक्षित है। जिस हेतु महाविद्यालय की कालेज लागिन पर छात्र/छात्राओं की सूचनाओं को संशोधित करने की अन्तिम तिथि 21.08.2026 तक निर्धारित की गयी थी, परन्तु कई महाविद्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं की वांछित सूचनाओं को कालेज लागिन पर संशोधित नहीं किया गया है।

अतः आदेशानुसार, समस्त प्राचार्य/प्राचार्या को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय की कालेज लागिन पर वांछित सूचनाओं को संशोधित करने की अन्तिम तिथि 20.09.2026 तक विस्तारित की जाती है, निर्धारित तिथि में छात्र/छात्राओं का संशोधन कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय में उपलब्ध डाटा ही अग्रेतर कार्यवाही हेतु मान लिया जायेगा तथा भविष्य में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार विलम्ब शुल्क के साथ कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार)

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वैया० सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
3. पी०एम०यू० सेल/प्रभारी, कोडिंग।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

(अंजलि मौर्या)

उप कुलसचिव (परीक्षा)